

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संख्या-6/एफ1-4005/2024 श्र0सं0- 69

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

मनीष कुमार,

सहायक श्रमायुक्त,

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, सिवान/सहरसा/पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/सारण(छपरा)/दरभंगा/
औरंगाबाद एवं लखीसराय।

पटना, दिनांक- 03/01/2025

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजन-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) एवं अनुसूचित जाति (विपत्रकोड-26-2230017890104) के CFMS Software से आवंटन निर्गत किये गये क्रमशः CFMS Order No.-5697 एवं 5699, दिनांक-31-12-2024 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुग्रह अनुदान वेतन मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103 एवं 26-2230017890104) के अन्तर्गत CFMS Software से राशि आवंटित की गई है। जिसका CFMS Order No.-5697 एवं 5699, दिनांक-31-12-2024 है।

2. मांग संख्या-26-मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए- ₹ 5,000/-की दर से :-

क्र० सं०	विषयशीर्ष 37. 01-अनुग्रह अनुदान	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या	प्रस्तावित राशि(₹)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	0103.37.01	सिवान	जिला पदाधिकारी, सिवान	07	35000	श्रम अधीक्षक, सिवान का पत्रांक-1115/18.12. 2024 के आलोक में।
2	0103.37.01	सहरसा	जिला पदाधिकारी, सहरसा	03	15000	श्रम अधीक्षक, सहरसा का पत्रांक-1546/22.11. 2024 के आलोक में।
3	0103.37.01	पूर्वा चम्पारण (मोतिहारी)	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	04	20000	श्रम अधीक्षक, पूर्वा चम्पारण (मोतिहारी) का पत्रांक-1721/28.11.2024 के आलोक में।

(10)

4	0103.37.01	सारण, छपरा	जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा	06	30000	श्रम अधीक्षक, सारण, छपरा का पत्रांक-1960/दिनांक-25.11.2024 के आलोक में।
5	0103.37.01	दरभंगा	जिला पदाधिकारी, दरभंगा	02	10000	श्रम अधीक्षक, अधिनियम, दरभंगा का पत्रांक-3165/ 30.11.2024 के आलोक में।
6	0103.37.01	औरंगाबाद	जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद	02	10000	श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद का पत्रांक-907/04.12. 2024 के आलोक में।
7	0103.37.01	लखीसराय	जिला पदाधिकारी, लखीसराय	03	15000	श्रम अधीक्षक, लखीसराय का पत्रांक-754/25.11. 2024 के आलोक में।

3. मांग संख्या-26-मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए ₹ 5,000/-की दर से: -

क्र० सं०	विषयशीर्ष 37. 01-अनुग्रह अनुदान	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या	प्रस्तावित राशि(₹)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	0103.37.01	सिवान	जिला पदाधिकारी, सिवान	03	15000	श्रम अधीक्षक, सिवान का पत्रांक-1115/18.12. 2024 के आलोक में।
2	0103.37.01	सहरसा	जिला पदाधिकारी, सहरसा	01	5000	श्रम अधीक्षक, सहरसा का पत्रांक-1546/ 22.11.2024 के आलोक में।
3	0103.37.01	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	जिला पदाधिकारी, पूर्वा चम्पारण (मोतिहारी)	04	20000	श्रम अधीक्षक, पूर्वा चम्पारण (मोतिहारी) का पत्रांक-1721/ 28.11.2024 के आलोक में।
4	0103.37.01	सारण, छपरा	जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा	04	20000	श्रम अधीक्षक, सारण, छपरा का पत्रांक-1960/दिनांक-25.11.2024 के आलोक में।

5. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2549, दिनांक-20.05.2024 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2024-25 में "बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना" अनुदान की राशि ₹5000/- (पाँच हजार) मात्र प्रति विमुक्त बाल श्रमिक की दर से भुगतान हेतु आवंटित की गयी है।

6. अनुरोध है कि बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना के तहत जाँच पड़ताल करके राशि का भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

7. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि० दिनांक-26.02.19, पत्रांक-732/वि० दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापक-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98 के आलोक में है।

(क)

8. इस आवंटित राशि से, किसी भी परिस्थिति में, अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
9. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत निश्चित रूप से अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
10. आवंटित राशि को नियमानुसार जाँच कर उन्हीं विमुक्त बाल श्रमिकों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांशित नहीं किया गया हो।
11. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।
12. श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वामभजन

03/01/25
मनीष कुमार,

सहायक श्रमायुक्त,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 6/एफ1-4005/2024 श्र0सं0- 69

पटना, दिनांक- 03/01/2025

प्रतिलिपि:-सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार तथा उप कोषागार पदाधिकारी/ संयुक्त श्रमायुक्त-2, प्रभारी प्रशाखा-01, श्रम पक्ष/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।

सभी संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक से अनुरोध है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से अविलम्ब सम्पर्क स्थापित कर आवंटित किये गये राशि के विरुद्ध नियमानुसार शत प्रतिशत व्यय करने हेतु अनुरोध करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

विश्वामभजन

03/01/25
मनीष कुमार,

सहायक श्रमायुक्त,
बिहार, पटना।